

**कार्यालय,
प्रतिष्ठित, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

तारीख/दिनांक 15-08-2020

:-कार्यालय द्वारा:-

प्रतिष्ठित राष्ट्रीय महाविद्यालय शिक्षा परिषद नई दिल्ली/फार्मेट्री कक्षा/निम्न श्रेणी/प्रथम वर्ष 2020-21 हेतु विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई विद्यार्थी/अभिभावक/अभिभाविकाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के तहत प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-08-2020 को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय महाविद्यालय शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय महाविद्यालय शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय महाविद्यालय शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई।

इस बैठक में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में विस्तार प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिया गया। बैठक के बाद प्रतिष्ठित राष्ट्रीय महाविद्यालय शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-08-2020 को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय महाविद्यालय शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई।

निम्न श्रेणी में स्थापित विद्यार्थी इन फार्मेट्री पाठ्यक्रम से संबंधित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईए द्वारा उनके प्रस्तुत अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईए द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्बद्धता/प्रवेश समिति के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं कार्यालय से पीसीआईए द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्थाओं प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के तहत सम्बद्धता प्रवेश समिति हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईए द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समिति	पीसीआईए द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समिति
1	2756	कार्मेलीट्स कॉलेज ऑफ फार्मेट्री एंड डिप्लोमा, लखनऊ।	विस्तार प्रदान फार्मेट्री	50

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पीसीआईए/पीसीआईए द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियम 1962 के तहत प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियम 2014 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तथा वार्षिक इन्टीरिम पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मेट्री पाठ्यक्रम हेतु ₹ 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक साथ दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मेट्री पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹ 22,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शसनादेश प्रनावी होंगे, और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(Handwritten signature)

**कार्यालय,
संघीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या - प्राधिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संज्ञानंक दिनांक: 09/08/2021

सम्बद्धता प्रमाण

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघन हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2756-ARYAKUL COLLEGE OF PHARMACY AND RESEARCH LUCKNOW.

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1982, सेमेस्टर विनियमवाली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सन्तुल्य में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0परिषद में आवेगी जो कि अनुमोदन प्राप्त किया जाने आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विहित (गर्भ/सर्विस/प्रोफेशन/रजिस्ट्रेशन/वैदेशी एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा तथा संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, फंडेशन, तिथियों का पालन करने के लिए कार्य करेगी।
- ✓ दिल्लीमा इन फार्मों को पाठ्यक्रम की संस्था में दी गयी, यदि दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इन संस्था में समस्त उत्तर प्रदेश संस्था का लोग और विहित रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को तबदे तक वापस किया जाता है तथा वापस बाद के संबंध में मा न्यमात्रण द्वारा किसी प्रकार जम प्रोसेसिंग संबंधी आदेश विहित किया जाता है जो समस्त प्रतिपूर्ति सम्बंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ दिल्लीमा इन फार्मों को पाठ्यक्रम संबंधित करने वाली संस्थाओं एवं संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश फार्म के लिए आवश्यक प्रवेश परीक्षा हेतु गार्डनरलिय प्रारंभ होने के पूर्व गी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद को कार्यवाही को आरंभ करना होगा अन्यथा जहां प्रवेश की लखनऊ लिये के मासों में अपना संस्था स्तर पर भी प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने संबन्धित पर संस्था की समस्त सुचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, राज-सब्जा, उपकरण, प्राप्त विद्या जाने तथा शुल्क, आवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपरोक्त बातवचरण उपलब्ध कराने के साथ शैक्षणिक रोडने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक जानकारी सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संभावित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिलेख, भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्वद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य राज-सब्जा ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्वद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्वद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुमानानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिध/परिषद सम्वद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, ARYAKUL COLLEGE OF PHARMACY AND RESEARCH LUCKNOW.



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव